न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या–12 / 2019–20

–: आदेश :–

सूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/7/2020	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता **अधनु महतो, पिता–स्व0 देवीलाल महतो, जाति–कुर्मी, ग्राम–मधुनिया, थाना–सियालजोरी, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–हुटुपाथर, थाना नं0–84 के खाता संख्या–15, प्लॉट नं0–985, 1001, 1002, रकवा–1.05 एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 187/भू0सु0, दिनांक 15.05.2019 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेंदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1193 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् हैः– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि **रैयती** खाते की है जिसका सर्वे खतियान **दोलत महतो** के नाम से दर्ज है। 2. (क). विक्रेता **ग्राम–मधुनिया, थाना–सियालजोरी, जिला–बोकारो, झारखण्ड** के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता **ग्राम–फतेहपुर, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो, झारखण्ड** के मूल निवासी हैं। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के **कुर्मी (महतो)** हैं, जो **अत्यंत पिछड़ा वर्ग** के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 1.05 एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को **खतियान** द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भुमि का जमाबंदी पंजी–II के थोका संख्या–**10** में कायम है। लगान रसीद **2015–16** तक निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म–गोड़ा I गोड़ा III है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा **मौजा–हुटुपाथर, थाना नं0–84 के खाता संख्या–15, प्लॉट नं0–985, 1001, 1002, रकवा–1.05 एकड़** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई क... टिप्पणी तारी...
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—JHRC/2019/310186 - दिनांक 14.04.2019 एवं क्रेता का स्थानीय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—JHRC/2017/1675118 - दिनांक 08.01.2018 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण—पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता **अधनु महतो, पिता—स्व0 देवीलाल महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—मधुनिया, थाना—सियालजोरी, जिला—बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा—हुटुपाथर, थाना नं0—84** के **खाता संख्या—15, प्लॉट नं0—985, 1001, 1002, रकवा—1.05 एकड़** भूमि क्रेता **सविता देवी, पति—जवाहर लाल महतो, जाति—कुर्मी ग्राम—फतेहपुर, थाना—चन्दनकियारी, अंचल—चन्दनकियारी, जिला—बोकारो** को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित ह0/- 20/01/20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। ह0/- 20/01/20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	